



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 जून, 2026

ज्येष्ठ 25, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2

संख्या 4/2026/3976503/अस्सी-2-2026

लखनऊ, 15 जून, 2026

अधिसूचना

प0आ0-420

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि ग्राम बदौली, परगना गोपामऊ, तहसील व जिला हरदोई में मै0 घासीराम एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लि0, ग्राम-हूँसेपुर, पोस्ट-गोण्डाराव अहिरोरी, तहसील व जिला हरदोई के स्वामित्वाधीन नीचे ब्यौरेवार क्षेत्र इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पाँच (05) वर्ष की अवधि के लिये विनिर्दिष्ट खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मेन्था, गुड़ एवं फल-सब्जी के थोक सौदों के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उपस्थल की खसरा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, हरदोई के मंडी क्षेत्र में स्थित ग्राम बदौली, परगना गोपामऊ, तहसील व जिला हरदोई के गाटा सं0 1439 ख, क्षेत्रफल 0.4050 हे0।

पूरब	ग्राम समाज भूमि (ऊसर) गाटा संख्या 1624, गाटा संख्या 1439 घ एवं गाटा संख्या 1623 अवध किशोर
पश्चिम	भूमि नवदीप कुमार आदि गाटा संख्या 1439 क
उत्तर	हरदोई-सीतापुर मुख्य मार्ग
दक्षिण	ग्राम समाज भूमि (ऊसर) गाटा संख्या 1439 घ

आज्ञा से,
रविन्द्र,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/2026/3976503/LXXX-2-2026, dated June 15, 2026 :

No. 4/2026/3976503/ LXXX-2-2026

Dated Lucknow, June 15, 2026

IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act. no. 25 of 1964) *read* with Rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below owned by M/s Ghasiram Agro Farmer Producer Company, Ltd., Village-Hunsepur, Post-Gondarao Ahirori, Tehsil and District Hardoi on Village-Badauli, Pargana-Gopamau, Tehsil and District-Hardoi, shall function as Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified food grains, pulses, oilseeds, mint, jaggery, fruits and vegetables for a period of Five (05) years from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, with the condition that no market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

KHASRA AND BOUNDARIES OF THE MARKET SUB-YARD

Gata no. 1439 kha, area 0.4050 hectare, of Village-Badauli, Pargana-Gopamau, Tehsil and District-Hardoi, situated in the market area of Agricultural Produce Market Committee, Hardoi.

East	Land of Graam Samaaj- Gata no. 1624, Gata no. 1439 gha (Usar) And Gata no.1623 Awadh kishore
West	Land of Navdeep Kumar <i>etc.</i> Gata no.1439 ka
North	Hardoi-Sitapur main road
South	Land of Graam Samaaj (Usar) Gata no.1439 gha

By order,
RAVINDER,
Pramukh Sachiv.